प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 09.11.2026

थाना अमरोहा नगर, जनपद अमरोहा

गौकशी के मुकदमे में वांछित 25 हजार रुपये का इनामी अभियुक्त मौहसिन पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली; अवैध तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद।

थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा गौकशी के मुकदमे में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त मौहसिन पुत्र शरीफ निवासी मौहल्ला लकड़ा, थाना अमरोहा नगर, जनपद अमरोहा को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण एवं पुलिस कार्यवाही-

दिनांक 09.11.2026 को प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ल मय पुलिस टीम क्षेत्र में शांति व्यवस्था, रात्रि गश्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 07.11.2026 की रात्रि को हुई गौकशी की घटना में नामजद 08 अभियुक्तों में से वांछित अभियुक्त मौहसिन अकबरपुर पट्टी से वासुदेव मंदिर की ओर जाने वाले जटीवन रास्ते पर आने वाला है।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर चेकिंग शुरू की गई। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो वह मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगा। मोटरसाइकिल फिसलने पर अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त मौहसिन के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त थाना अमरोहा नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 401/2026 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट में वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतू 25 हजार का ईनाक घोषित किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मौहसिन पुत्र शरीफ निवासी मौहल्ला लकड़ा, थाना अमरोहा नगर, जनपद अमरोहा।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अवैध तमंचा 315 बोर।

2. एक जिंदा कारतूस।

3. दो खोखा कारतूस।

4. एक मोटरसाइकिल।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0020/2014 धारा 51/9 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, थाना नौगावां सादात।

2. मु0अ0सं0 401/2026 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, थाना अमरोहा नगर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ल।

2. व0उ0नि0 श्री सलीम अहमद।

3. उ0नि0 श्री संजीव राठी।

4. उ0नि0 श्री सुभाष बालियान।

5. हे0का0 512 शाने आलम।

6. का0 591 दीपक कुमार।

7. का0 419 आकाश कुमार।

8. का0 451 अंशुल कुमार।

9. का0 1278 पिन्टू कुमार।

10. का0 1285 रविन्द्र कुमार।